न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—374/2010/223 आर.टी.एक्ट (2010/00010)

1. लादू पुत्र धन्ना
2. रामदेव पुत्र धन्ना
   समस्त जाति जाट, निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, केकडी जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 11.08.2003 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी, राजस्व वाद संख्या 69/1997

उपस्थितः—

1. श्री जी0एस0लखावत अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

निर्णय

दिनांकः—30.04.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 69/1997 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.08.2003 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी, केकडी के न्यायालय में ग्राम केकडी के खसरा नम्बर 881 रकबा 7—2—00 बीघा बावत प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी केकडी ने वाद प्रस्तुत होने के पश्चात वाद दर्ज कर प्रतिवादी को नोटिस जारी किए तत्पश्चात प्रतिवादी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। वाद विचारण न्यायालय ने साक्ष्य प्रस्तुत की गई, प्रतिवादी द्वारा वादी की साक्ष्य के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी केकडी ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 11.8.2003 के द्वारा वाद खारिज किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 69/1997 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.08.2003 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलार्थीगण को दिनांक 5.9.2010 को हुई तत्पश्चात आगामी दिवस दिनांक 6.9.2010 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

केकडी जाकर अभिभाषक से संपर्क कर न्यायालय निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि आदि प्राप्त करने का आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 1.10.2010 को प्रतिलिपि तैयार की गई तत्पश्चात अपील हेतु पैसों का बंदोबस्त कर दिनांक 11.10.2010 को अजमेर आकर अभिभाषक नियुक्त कर अपील प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। निर्णय व डिक्री दिनांक 11.8.2003 की जानकारी उक्त निर्णय के पारित होने की दिनांक से प्रार्थी को नहीं थी प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थी को सूचना देने हेतु आश्वासन दिया तथा प्रार्थी इसी विश्वास में रहा कि अभिभाषक सूचना दे देंगे, परंतु दिनांक 5.9.2010 को पटवारी ने बताया कि इस भूमि में वाद खारिज हो जाने के कारण अब भौतिक रूप से बेदखल किया जाएगा तथा पटवारी द्वारा ऐसे कहने पर तत्पश्चात केकडी जाकर संपर्क करने से समस्त जानकारी हुई इस प्रकार जो विलंब कारित हुआ वह प्रार्थी के गरीब अनपढ व काश्तकारी पैशा व्यक्ति होने के कारण तथा अभिभाषक द्वारा दिए गए आश्वासन के रहते हुआ। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा किए गए निर्णय व डिक्री दिनांक 11.8.2003 की जानकारी प्रार्थी को नहीं रही व प्रार्थी द्वारा उनके अभिभाषक ने भी प्रार्थी को उक्त निर्णय बाबत सूचना नहीं दी गई। प्रार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 5.9.2010 को हुई। तब उनके द्वारा अपने अभिभाषक से दिनांक 6.9.2010 को संपर्क किया गया तब उनके अभिभाषक द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थी को उक्त निर्णय की प्रतिलिपि दिनांक 11.10.2010 को प्राप्त हुई। प्रार्थी को उक्त निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर प्रार्थी द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 11.8.2003 की अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 11.10.2010 को प्रस्तुत करना पाया जाता है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के माध्यम से कहे गए कथन में उनके द्वारा किस आधार पर अपील इतने विलंब के पश्चात प्रस्तुत की गई बिना किसी संतोषजनक कारण के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिनका उनके द्वारा किसी प्रकार का स्पष्टिकरण भी नहीं दिया गया है। उनके द्वारा मात्र अपने प्रार्थना पत्र में यही कारण बताया गया है कि उनको उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 5.9.2010 को हुई। परंतु उनको उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी किस आधार से व किस के माध्यम से हुई। उनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह नहीं बताया गया है। चूंकि उक्त निर्णय व डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

दिनांक 11.8.2003 का है व प्रार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी लगभग निर्णय व डिक्री के 7 वर्ष बाद हुई। प्रार्थी इतने वर्ष तक कहां थे व उक्त निर्णय व डिक्री बाबत उन्हें किस प्रकार जानकारी नहीं रही। चूंकि मियाद अधिनियम बाबत आपको न्यायालय के समक्ष स्पष्ट व संतोषजनक कारण बताना अनिवार्य है। इस बाबत आपको प्रत्येक दिवस की जानकारी संतोषजनक कारण के साथ न्यायालय के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से न्यायालय को अवगत करवाना अनिवार्य है। परंतु प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत ऐसे कोई पर्याप्त कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे न्यायालय हाजा संतुष्ट हो सके कि प्रार्थी द्वारा बताए गए कारण सदभाविक है व प्रार्थी को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी इतनी लंबी अवधि पश्चात भी नहीं हो सकी। जिससे न्यायालय हाजा पूर्ण रूप से सहमत हो सके। परंतु उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा जो कारण अंकित किए गए है व केवल मात्र प्रार्थी द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री बाबत उनकी ओर से मनगढत व जानबूझकर अंकित किए गए कारण प्रतीत होते है। जिनसे न्यायायल हाजा किसी प्रकार से उक्त मियाद अवधि को कण्डोन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

RRD SEPTEMBER, 2000 PAGE 421

Limitation act, 1963-sec.5- *In application u/s 5,Limitation act, reason given is not satisfactory- Appellant was negligent inspite of knowledge- order of R.A.A not condoning delay, held justified.*

प्रस्तुत न्यायिक नजीर के अवलोकन से उक्त न्यायिक दृष्टांत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर पूर्णरूप से चस्पा होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है।

7. अतः उपरोक्त कारणों से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किए जाने से उक्त अपील भी इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 69/1997 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.08.2003 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

30/04/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner